P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का बदलता स्वरूप : प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक

अमिता मीना
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत गांवों में बसता है। इस प्रकार से ग्रामीण विकास के अभाव में किसी देश के विकास की कल्पना अधूरी सी है। भारतीय गांवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नींव है। भारत में प्राचीनकाल से ही पंचायती राज व्यवस्था के तत्त्व विद्यमान रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय शासन व्यवस्था का अदभुत अभिलक्षण है। भारत में प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक पंचायती राज व्यवस्था का विशिष्ट स्वरूप प्रकट होता है। जन–जन को शासन की गतिविधियों में सक्रिय सहभागी बनाये जाने के दृष्टिकोण पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उद्घोष किया गया। 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विधिक संस्तर प्रदान किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय शासन की यह सबसे पुरानी प्रणाली है।[14] वे वित्त आयोग ने 2015–2020 कार्यविधि के लिए 200,292.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि से तिगुनी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय समग्र विकास का महत्त्वपूर्ण अभियंत्र रहा है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। भारतीय संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र की परम आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा ही नागरिकों को वास्तविक रूप से सहभागिता व आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। शासन के ऊपरी स्तरों (केन्द्र एवं राज्य) पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य एवं मान्यताएँ शक्तिशाली न हो। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि सर्वोच्च शासन की जड़े जन–साधारण के बीच हो ताकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं एवं मांगों को अभिव्यक्ति करने का समुचित अवसर मिल सके।[1] लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला उसकी सफलता की सबसे अधिक गारण्टी पंचायतीराज व्यवस्था का संचालन है। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता की समस्याएं एवं उनके समाधान की प्रक्रिया में जनता की पूर्ण तथा प्रत्यक्ष भागीदारी है, तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं विशिष्ट लोकतंत्र का प्रमाण उतना सटीक अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, जितना स्थानीय स्तर पर। वर्तमान में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय संस्थाओं को अनिवार्य माना जाता है। प्रजातंत्र की नींव इसी के माध्यम से मजबूत होती है। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा देते हुए एल. गोल्डिंग ने लिखा है कि ''स्थानीय सरकार की सबसे सरल परिभाषा यही है कि यह एक बस्ती के व्यक्तियों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है।''[2]

डॉ. आशीर्वादम ने अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''स्थानीय शासन, केन्द्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई है, जिसमें नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते है।''[3]

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोकतंत्र के विद्यालय के रूप में कार्य करती है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भाग लेकर लोग स्वायत्त शासन की कला सीखते है, उन्हें नागरिकता का

व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है अतः यह आवश्यक है कि ऊपर से नीचे के स्तरों पर सत्ता का इस प्रकार विकेन्द्रीकरण हो कि स्थानीय शासन की इकाइयाँ उसी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे।

पंचायती राज संस्थायें लोकतंत्र की आधारशिला है। यह भावी राजनीतिज्ञों के राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य करती है। अतः इन्हें भावी नेताओं की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। किसी भी स्थानीय समस्या को सटीक रूप से सुलझाने हेतु आवश्यक है कि निर्णय लेने वालों को स्थानीय परिस्थितियों एवं वातावरण की पूर्ण जानकारी हो। अतः सत्ता अधिकार शक्ति एवं उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में अनिवार्य बन गई है।

गाँधीजी ने राजनीतिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण को हिंसा माना उनका दृढ़ विचार था कि आधुनिक भारत में विकेन्द्रीकरण ग्रामीण समुदाय के विकास के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। नेहरू भी राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीकरण को वास्तविक लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा मानते थे। इस प्रकार गांधी व नेहरू दोनों ने लोकतंत्र में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण ग्रामीण स्तर तक करने का समर्थन किया ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का अन्तरण होना लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था में आवश्यक एवं वांछित प्रक्रिया है। लोकतंत्र में सम्प्रभुता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए भारत में वैदिककाल से लेकर आज तक पंचायतों का अस्तित्व किसी न किसी रूप में सदैव बना रहा है।

भारतीय वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। इस काल में सभा और समितियों जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। उस समय गांव के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी ही पंचायत का प्रमुख कार्यकर्ता होता था। वैदिक युग के पश्चात् ''रामायण युग में भी ''सभा एवं समितियों '' का वर्णन मिलता है।[4] रामायण युग में जनपदों का भी अस्तित्व था। तत्कालीन व्यवस्थाओं में जनपदों को ग्रामीण गणराज्यों के संघों के रूप में जाना जाता था।[5] महाभारत के शान्तिपर्व, मनु की कृति 'मनुस्मृति', कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में स्थानीय शासन की इकाई ग्राम की महत्ता को प्रतिपादित किया है। महाभारत के शांतिपर्व के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसके ऊपर क्रमशः दस, बीस, शत और सहस्र ग्राम समूहों की इकाइयां होती थी।[6] मनुस्मृति में मनु ने स्थानीय स्वशासन के व्यवस्थित स्वरूप पर बल दिया तथा शासन की शक्तियों एवं कार्यों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया। मनु ने शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना है, एवं क्रमशः दस ग्राम, बीस ग्राम, सौ ग्राम व हजारों ग्रामों के उत्तरोत्तर संगठनों की व्यवस्था की है।[7] कौटिल्य ने प्रशासन और राजस्व के संग्रहण की दृष्टि से शासन की ग्रामीण इकाइयों की एक श्रृंखला के रूप में संगठिन करने पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार ''10 ग्रामों के बीच एक संग्रहण 400 ग्रामों के बीच द्रोणमुख, 800 ग्रामों के मध्य स्थानीय नामक इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए।[8]

मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी। ग्राम का प्रबन्धन लम्बरदारों, पटवारियों व चौकीदारों द्वारा किया जाता था।

मौर्य एवं गुप्तकालीन स्थानीय स्वशासन में 16 महाजनपदों अथवा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है।

मुगलकालीन शासन व्यवस्था में भी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की इकाई अपने पुरातन रूप में विद्यमान थी। अफगान और मुस्लिम शासकों ने पुरातन रूढ़ियों और अभिसमयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा और ना ही ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन किये ग्राम–पंचायतों का कार्य पूर्व की भांति चलता रहा।[9]

परन्तु आंग्ल शासन में ही पंचायती राज व्यवस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पर अपना ध्यान केन्द्रित करने वाला प्रथम वायसराय लार्ड रिपन था, लार्ड रिपन के प्रस्ताव को 'महान अधिकार पत्र' की संज्ञा दी गयी तथा उसे स्थानीय स्वशासन का जन्म माना गया है। 1907 में राजकीय विकेन्द्रीकरण आयोग' की स्थापना की गई जिसने 1909 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य से आयोग की अच्छी सिफारिशें भी क्रियान्वित नहीं हो पाई। भारत में स्थानीय संस्थाओं के विकास का अगला कदम 'माण्टेग्यू–चेम्सफोर्ड अधिनियम' अथवा 1919 का भारत शासन अधिनियम माना जा सकता है। लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप, धनाभाव एवं प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी।

भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत 1937 में प्रान्तों में लोकप्रिय मंत्रिमण्डलों का निर्माण हुआ और उन्होंने स्थानीय संस्थाओं को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि बनाने के लिए कुछ कानून बनाये किन्तु दुर्भाग्यवश 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने से स्थानीय संस्थाओं के प्रति मंत्रियों का उत्साह ठंडा पड़ गया। स्थानीय शासन के इतिहास में यह (1939–1946) अवधि अंधकार युग माना जाता है।[10]

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन ग्रामोन्मुखी था। उनकी मान्यता थी कि भारत के अभीष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक समाज की रचना की नीवं ग्राम पंचायत ही होगी।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में पंचायतों के पुर्नजीवन के सम्बंध में जो प्रयास किए गए थे उनका मकसद सतही था वह केवल ब्रिटिश शासन की जरूरतों को पूरा करने का एक साधन थी।

15 अगस्त, 1947 को लम्बे संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय जनमानस की विकास सम्बंध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की अध्यक्षता में गठित हुई। इस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 26 जनवरी, 1950 को भारत का नया संविधान लागू हो गया और भारत को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया।[11]

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान में पंचायती राज को नीति–निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया। संविधान के अनु. 40 में प्रावधान है कि ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन इस प्रकार करने के लिए बाध्य होगा। जिससे वे स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ था यह कार्यक्रम गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर, 1952 से शुरू किया गया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ''अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम नौकरशाही द्वारा संचालित होने के कारण विफल हो गया। इन कार्यक्रमों के संचालन में स्थानीय लोगों को भागीदार नहीं बनाया गया, जबकि स्थानीय समस्याओं का ज्ञान स्थानीय लोगों को ही अधिक होता है एवं उनके समाधान के उचित उपाय भी वे ही लोग कर सकते है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभावी रूप न ग्रहण कर पाने के कारण 1957 में गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु किया गया। समिति ने दिसम्बर 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कार्यक्रम की असफलता का कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बताया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने की सिफारिश की। ये तीनों स्तर थे–

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा शीर्ष/जिला स्तर पर जिला परिषद। साथ ही इस त्रिस्तरीय पंचायती राज की सफलता के लिए तीन बिन्दुओं को आवश्यक माना– सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकृत इकाइयों को विकास के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना एवं कर्त्तव्य की समझ हेतु प्रशिक्षण–व्यवस्था करना। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जनवरी, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया गया। परिषद ने समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के साथ ही यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक राज्य को ऐसी पंचायत राज व्यवस्था का विकास करना चाहिए जो राज्य में विद्यमान विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप हो।[12]

मेहता समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राजस्थान एवं आन्ध्रप्रदेश की सरकारों ने सर्वप्रथम अपने क्षेत्रों में 2 अक्टूबर, 1959 को इस योजना को कार्यक्रम में परिणित करते हुए शुभारम्भ किया तत्पश्चात् भारत संघ के अन्य राज्यों ने भी इनका अनुकरण किया।

अशोक मेहता समिति (1977) ने पंचायती राज के आकार एवं स्थायित्व के निमित्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकृति की अनेक सिफारिश की, ग्रामीण पिछड़ापन तथा निर्धनता को दूर करने एवं ग्रामीण स्थानीय शासन के पुनर्गठन के तरीके सुझाने हेतु 1985 में जी.वी. के. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठिन की समिति द्वारा स्थानीय लोगों व उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी बनाने एवं इन संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी समिति (1986) एवं पी.के. थुंगन समिति (1988) द्वारा पंचायतीराज को मजबूत एवं उत्तरदायी बनाने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की।[13]

यद्यपि पंचायती राज संस्थाए लम्बे समय से विद्यमान है तथा विभिन्न समितियों के गठन के पश्चात् भी ये संस्थाएं कई कारणों से, जिनके अन्तर्गत नियमित निर्वाचनों का न होना, लम्बे समय तक अप्रतिष्ठित रहना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों जैसे दुर्बल वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शक्तियों का अपर्याप्त न्यायगमन और वित्तीय साधनों का अभाव भी है, व्यावहारिक तथा प्रभावशील लोक निकायों की हैसियत और महत्त्व प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है।''[14]

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और पंचायत राज व्यवस्थाओं को निरन्तरता, निश्चितता और शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी कतिपय आधारभूत और अनिवार्य विशेषताओं को संविधान में आवश्यक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसची–ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है। 25 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है :–

1. ग्रामसभा एक ऐसा निकाय होगी जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। ग्रामसभा ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपबंध करे।
2. प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा।
3. राज्य विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा, जिसमें सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों मे विभक्त किया जायेगा जितने सदस्य उस क्षेत्र से निर्वाचित किये जायेगे। पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा।
4. प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे और

चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

5. पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व ही नये चुनाव कराये जायेंगे। यदि पंचायत को पांच वर्ष पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराये जायेंगे।
6. पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए प्रति 5 वर्ष वित्तीय आयोग का गठन किया जायेगा जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगे।
7. पंचायतों को कौनसी शक्तियां प्राप्त होगी और वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगी, इसकी सूची संविधान में ग्यारहवी अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 कार्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। जिसमें कृषि, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़के, पुलिया, पुल, संचार के साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार और मेले, महिला और बाल विकास, परिवार कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, लोक वितरण प्रणाली ,सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि है।[15]

अतः 73वां संविधान संशोधन न केवल पंचायती राज संस्थाओं में संरचनात्मक एकरूपता लाने का प्रयास है बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि इन संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी है।

पंचायती राज की उपलब्धियाँ

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यकुशल निष्पादन में पंचायतीराज संस्थाओं को मुख्य अभिकरण माना जा सकता है।

1. पंचायती राज के माध्यम से महात्मा गांधी और उन सभी का सपना सच हुआ जिन्होंने लोगों को सत्ता देने का समर्थन किया था। लोगों के द्वार पर सरकार को ले जाने के लिए धीरे–धीरे अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है।
2. सरकार की लोकहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुँचाने में पंचायतों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।
3. पंचायतों में पोषण, आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, आजीविका, सड़क, शिक्षा, बिजली, पेंशन जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य शासन द्वारा पंचायतों के माध्यम से की जा रही है जो कि विश्वस्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों में भी सम्मिलित है।
4. भारत सरकार ने नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता और नागरिकों को सूचना की सुगम अभिगम्यता सुनिश्चित करने हेतु शासन को रूपान्तरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई–शासन योजना लागू की थी। राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत कई मिशन मोड परियोजनाओं के साथ–साथ ई–पंचायत को भी अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर लागू किया गया।[16]
5. पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन से पहले स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी इस संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पद (जैसे सरपंच) व सदस्यता आरक्षित करने का प्रावधान किया गया और महिलाओं को राजनैतिक अधिकार दिये गये।
6. ग्राम स्वराज योजना कार्यक्रम की शुरूआत के बाद सभी लाभार्थियों के लिए रोजगार की संख्या में वृद्धि हुई इस प्रकार पंचायत महिला लाभार्थियों पर अनुकूल प्रभाव डालने मे सफल रहा है तथा विकास सूचकांक (2015–16) के आंकडों के अनुसार महिलाओं को उच्च एवं निम्न रोजगार के रूप में क्रमशः 248.01 तथा 220.34 दिनों का रोजगार उपलब्ध हुआ है। इससे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है और ग्रामीण क्षेत्र की क्रयशक्ति, खपत तथा रोजगार दर में वृद्धि हुई है।[17]
7. 2001 की जनगणना एवं 2015 में विकास सूचकांक के आंकड़ों के बीच तुलना करने से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आवास निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
8. पितृसत्तात्मक एवं सामंती मूल्यों के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बाधित हो रही है लेकिन नई व्यवस्था से सामाजिक मान्यताओं को बदलने में मदद मिल रही है।
9. गैर–सरकारी संगठन, नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका एक विशिष्ट सामाजिक एजेंडा होता है। गैर–सरकारी संगठन, पंचायती प्राधिकरण के साथ विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय करते है।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कुल गैर–सरकारी संगठनों में से 36.6 प्रतिशत गांवों में स्व–रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं आपदा राहत कार्यक्रम के लिए पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहे है।
11. 16.7 प्रतिशत गैर–सरकारी संगठनों ने पल्स पोलियों कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में समन्वयकिया है और 8.3 प्रतिशत एनजीओ ने गांवों में कम लागत वाली शौचालय बनाने में मदद की है।
12. मुंबई स्थित स्वदेश फाउंडेशन ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। यह ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से एनजीओ, सरकार तथा पंचायत के साथ सहयोग कर कार्य करता है।
13. 2014 में ग्रीनपीस एनजीओ द्वारा सौर संचालित 100 किलोवाट माइक्रो–ग्रिड शुरू करने के बाद बिहार के जहानाबाद जिले के धरनी गांव में रहने वाले 2400 से अधिक लोगों को गुणवत्ता बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

14. 2002 में दिल्ली में स्थापित, डिजिटल, इम्पॉवरमेंट फाउंडेशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के सहयोग से डिजिटल तकनीक पहुंचाने तथा इसके द्वारा भारत के पिछड़े एवं वंचित समुदायों तक सरकारी योजनाओंकी सही सूचना पहुंचाना है। यह नागरिक पत्रकारिता, डिजीटल पंचायत, ई–एनजीओ, ज्ञानपीडिया जैसे विभिन्न योजनाओं पर काम करता है। इसके अलावा ग्रामीण स्कूलों, सामुदायिक रेडियो, इंटरनेट की मदद से लोगों द्वारा बनाई गई सामग्री को डिजिटल रूप में संग्रहित करने का काम कर रही है।[18]
15. डिजिटल इम्पावरमेंट फाउडेंशन ने 2015 में जयपुर, राजस्थान में सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में कार्यरत प्लानिंग सोशल कंसर्न के साथ मिलकर 'माइक्रोलेखा परियोजना' लागू की है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में छोटे ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे है।
16. देश में आज चुने हुए प्रतिनिधियों यानी सांसद और विधायकों की संख्या महज पांच हजार के आस–पास है जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत् देशभर में विभिन्न स्तरों (ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर लगभग तीस लाख से ज्यादा प्रतिनिधि है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
17. 73वें संशोधन के तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए लागू होने वाले आरक्षण से इस समाज के 10 लाख से भी अधिक नये प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थान मिला हे। ये देश में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रक्रिया है जहाँ एक ओर संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी मात्र 8 फीसदी है। वही इस क्षेत्र में लगभग 49 फीसदी चुनी हुई प्रतिनिधि महिलाए है आज देश में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 14 लाख है। इनमें 86 हजार स्थानीय निकायों की प्रतिनिधि है।
18. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग रखने वाले प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी वाले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को एक अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण देश में संचालित किया गया इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर न्यूनतम और सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराकर टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण आदि कार्य करवाये जा रहे है।

इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रतीक पंचायती राज संस्थाओं ने निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा उपेक्षित ग्रामीण जनता को आवाज प्रदान की है। आरक्षण की व्यवस्था के चलते अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है पहले की पंचायतों में प्रायः गांव के प्रभुत्व या धनी व्यक्ति सरपंच इत्यादि बनते थे, किन्तु आरक्षण व्यवस्था ने सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। स्वतंत्र भारत में महिला सरपंचों, पंचों एवं अन्य प्रतिनिधियों के कारण अब विकास कार्यों की प्राथमिकताएं बदल गई है। पहले पुरूष सरपंच, प्रायः सड़क, पुलिया, पंचायत या पटवार भवन के प्रस्ताव अधिक रखते थे जबकि महिला निर्वाचित प्रतिनिधि शौचालय, हैंडपंप, पीने का पानी, टीकाकरण, पोषाहार तथा ईंधन समस्या पर प्रस्ताव अधिक देती है। आंध्र प्रदेश की फातिमा बी की कहानी जमीनी लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में महिलाओं के योगदान को बयां करती है। फातिमा बी ने अपना सारा समय ग्राम विकास को समर्पित कर दिया, उन्होंने निर्धन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाये। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इन समूहों को ऋण मिलने लगा। फातिमा बी को उनके कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।[19]

इसी प्रकार राजस्थान में 2015 में हुए पंचायत चुनावों में कई गांवो की कमान युवाओं के हाथ में आ गयी। इनके सरपंच बनने के एक साल के भीतर ही गांव की तस्वीर बदली–बदली नजर आने लगी है। राजस्थान के थानागाजी की ग्राम पंचायत दुहार चौगान में जहां पहले शाम ढलते ही रास्ते में अंधेरा हो जाता था जिससे वहाँ निकलने से डर लगने लगा था, दुर्घटनाएं और चोरिया बढ़ गई थी सरपंच सृष्टि जैन ने यहाँ का सारा नजारा बदल दिया पूरे गांव के रास्तें में एलईडी लाइटें लगवा दी। इसी प्रकार महिला सरपंचों के द्वारा प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में पीने के पानी के लिए टंकियों का निर्माण कराया है तथा इसी के साथ–साथ गांवों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है तथा डस्टबिन लगवाये जा रहे है।

वस्तुतः पंचायती राज व्यवस्था प्रशासन का उत्कृष्ट एवं कुशल ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है इसमें अधिकाधिक लोगों को प्रशासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता है पंचायती राज में स्थानीय नेताओं को आगे बढ़कर काम करने का अवसर मिलता है जिससे उनमेंएवं उनकी टीम में जागृति आती है कुछ राज्यों में तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इन संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया है। यह कार्य मुख्यतः नागरिक सुविधाओं के ही सम्बन्ध में हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कुछ नयी समस्याएं उत्पन्न हो गई है।, कुछ पहले ही थी, जिनका निराकरण करना आवश्यक है ये समस्याऐं हैः–

1. अशिक्षा और ग्रामीणों की निर्धनता की विकट समस्या है। इसके कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो रहा है और वे अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं।
2. पंचायती राज की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है।
3. पंचायत अपने विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार के फंड पर निर्भर रहती है। जबकि कई बार राज्य सरकार समय पर निर्गत नहीं करती है इस प्रकार वित्तीय संसाधनों के लिए पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर रहने के कारण स्थानीय प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता और राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।

4. स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधनों की कमी तथा राज्य सरकार पर निर्भरता की वजह से अभी तक समस्याएं सुलझ नहीं सकी है।
5. पंचायती राज संस्थान के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती गांवों की पारंपरिक सामाजिक सरंचना है। चुनावों में आरक्षण द्वारा चयनित प्रतिनिधियों को सामाजिक स्वीकार्यता की समस्या का सामना भी करना पड़ता है।
6. आज पंचायती राज व्यवस्था का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। पंच, सरपंच पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सभी राजनीति पार्टियों से जुड़े हुए हैं। पंचायत चुनावों में धन, बल का प्रयोग होता है। ग्रामीण परिवेश के राजनीतिकरण से गांव में गुटबाजी व स्थानीय राजनीति ने घर कर लिया है।
7. पंचायती राज की वित्तीय सूचना प्रणाली की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्यारहवी बारहवीं तथा तेरहवीं वित्तीय आयोगों द्वारा बार–बार प्रयासों के बावजूद विश्वसनीय एवं सुसंगत वित्तीय आंकड़ों की कमी के कारण सकारात्मक सुधार नहीं हुए है। भारत में स्थानीय सरकारों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी है।
8. पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मानव संसाधनों की कमी है।
9. कई स्तरों पर संवाद की कमी तथा पंचायती राज की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण स्थानीय प्रशासन में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ है।

अतः पंचायती राज संस्थान कई वर्षों से काम कर रहे है लेकिन यह संस्थान अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी प्रदर्शन करने में असफल रही है। नियमित अंतराल पर पंचायतों का चुनाव न होना, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अधिकारों का अस्पष्ट विभाजन और वित्तीय संसाधनों की कमी पंचायती राज की प्रमुख चुनौतियां है।

पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए सुझाव एवं प्रयास

1. पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबन्दी को समाप्त करना होगा।
2. पंचायतों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी।
3. पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. अधिकारियों को पंचायतों के मित्र और पथ–प्रदर्शक रूप में कार्य करना चाहिए।[20]
5. गांवो एवं शहरी क्षेत्र में लोगों का जीवन असमान भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण प्रभावित होता है इसलिए ग्रामीण परिवारों के सशक्तिकरण के लिए इस असमानता में कमी करना आवश्यक है।
6. 73वें संशोधन ने पंचायती राज में संरचनात्मक परिवर्तन लाया है। लेकिन इसे कार्यरूप देने के लिए पंचायती राज संस्थान के विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मानव संसाधन में वृद्धि करने की जरूरत ।
7. विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के लिए राजनीतिक नेतृत्व तथा नौकरशाही के बीच तालमेल होना आवश्यक है।
8. ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण, कौशल एवं आय में वृद्धि के लिए सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी तक पहुंच बेहतर करने तथा स्थानीय समस्याओं के अनुरूप समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।
9. ग्राम पंचायत को केवल तभी मजबूत किया जा सकता है, जब जमीनी स्तर पर उपजे असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाए। विकेन्द्रीकृत योजना को मूल उत्पादक संसाधनों के पुनर्वितरण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए ताकि वंचित एवं शक्तिहीन वर्ग को सशक्त बनाया जा सके।
10. स्थानीय प्रशासन को राज्य नियंत्रित नौकरशाही से मुक्त होने तथा लचीले प्रशासन में बदलते की जरूरत है। लोकतंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अलावा अच्छे लोकतांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। राज्य को स्थानीय संस्थाओं के नियामक के बजाय सहायक संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए।

पंचायती राज संस्थान के सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ

1. भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायती संस्थान में राज्यों द्वारा देय फंड व कार्यों के संदर्भ में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता को प्रोत्साहित करना है।
2. मई 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।
3. योजना का वित्त पोषण केवल गैर–पिछड़ा क्षेत्र वाले जिलों के लिए लागू है। यह योजना मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज संस्थान के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल/कौशल का उपयोग कर व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मांग आधारित ग्रामीण व्यापार केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
5. गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी जिसके तहत देश के सभी सांसदों को एक साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना है। इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर जोर दिया जा रहा है।[21]
6. केन्द्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 25 सितम्बर, 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की थी यह

ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल है जिसमें 550 लाख से अधिक ऐसे गरीब ग्रामीण युवाओं को जो कुशल होने के लिए तैयार है, स्थायी रोजगार प्रदान करने से लाभ होगा,

7. 2002 से दिल्ली में स्थापित डिजिटल इम्पावरमेंट फाउंडेशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के सहयोग से डिजिटल तकनीक पहुंचाने तथा इसके द्वारा भारत के पिछड़े एवं वंचित समुदायों तक सरकारी योजनाओं की सही सूचना पहुंचाना है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि नई पंचायती राज व्यवस्था स्वशासन तथा सामाजिक न्याय दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। व्यवस्था में सरंचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक दोनों दृष्टियों से जो परिवर्तन किये गये है वे निश्चित रूप से इसकी स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

निष्कर्ष

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की विकास यात्रा एक ओर पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता को इंगित करती है तो दूसरी ओर इस तथ्य को भी उजागर करती है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र विकास का उद्घोष किया जा सकता है। अतः भारत वर्ष में पंचायती व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप ने एक लंबा समय तय किया है तथा पंचायती राज व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भारत में धीरे–धीरे देखने को मिल रहा है। सामूहिक रूप से यह देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में लोकतंत्र की जड़े गहरी हुई है। इसी के साथ–साथ जनता को अपनी जिम्मेदारियों एवं जवाबदारियों को सक्रियता से निभाना होगा जब तक जनता अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी तब तक गांधीजी के सपनों को साकार करने की कल्पना अधूरी रहेगी।

अंत टिप्पणी

1. *जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा; भारत में पंचायती राज, 2000, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 1*
2. *सिंह, डॉ. बामेश्वर, भारत में स्थानीय स्वशासन, 2012, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ. 3*
3. *शर्मा, डॉ. हरिश्चन्द्र भारत में स्थानीय प्रशासन, 2004, कॉलेज बुक डिपों, जयपुर, पृ. 2*
4. *राठौड़, डॉ. गिरवर सिंह, भारत में पंचायती राज, 2004, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 2*
5. *उपर्युक्त*
6. *चन्देल, डॉ. धर्मवीर एवं चन्देल, डॉ. नरेन्द्र कुमार, पंचायती राज और महिला सहभागिता, 2016, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर पृ. 15*
7. *उपर्युक्त पृ. 15*
8. *फड़िया, डॉ. बी.एल., भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 55*
9. *श्रीवास्तव, डॉ. अरूण कुमार, भारत मेंपंचायती राज, आर वी.एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर 1994, पृ. 10*
10. *डॉ. पूरण मल, नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, 2009 आविष्कार पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. 7*
11. *यादव, धर्मेन्द सिंह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, 2006, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 52*
12. *डॉ. पूरणमल, नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, 2009, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर पृ. 13*
13. *चन्देल, डॉ. धर्मवीर एवं चन्देल, डॉ. नरेन्द्र कुमार, पंचायती राज और महिला सहभागिता, 2016, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर पृ. 15*
14. *सिंह, डॉ. बामेश्वर, भारत में स्थानीय स्वशासन, 2012, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ .61*
15. *क्रानिकल, दिसम्बर, 2014*
16. *क्रानिकल, फरवरी 2019, पृ. 184*
17. *क्रानिकल, फरवरी 2019, पृ. 188*
18. *क्रानिकल, फरवरी 2019, पृ. 190*
19. *क्रानिकल, दिसम्बर 2014, पृ. 173*
20. *भारतीय शासन एवं राजनीति 2008, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 627*
21. *क्रानिकल, फरवरी 2019, पृ. 189*